न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

तारीख दायरा
11.10.2019

तारीख फैसला
17-10-25

...नं0
.../2019

...सीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

...रेवडीलाल आत्मज नाथूलाल
...भेरूलाल आत्मज नाथूलाल
...नन्दू बाई पुत्री नाथू लाल
जाति मेघवाल निवासीगण मेंहदी तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रार्थीगण)

बनाम

1– ग्यारस्या पुत्र मन्ना जाति मेघवाल निवासी मेंहदी तहसील दीगोद जिला कोटा
2–रामू बाई पत्नी बृज मोहन जाति मेघवाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद
3–मन्जू बाई पत्नी भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी रायपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा
4– कुन्ती बाई पत्नी धन जी जाति मेघवाल निवासी नयापुरा कोटा जिला कोटा
5– द्रोपदी बाई पत्नी कान्हा जी जाति मेघवाल निवासी भिया तह0 के०पाटन जिला बूंदी
6–मधु पत्नी रामरतन जाति मेघवाल निवासी भिया तहसील के०पाटन जिला बूंदी
7–भगवती पत्नी राजेन्द्र जी जाति मेघवाल निवासी बडगांव बावडी तहसील लाड़पुरा
8– संतोष पत्नी हेमराज जाति मेघवाल निवासी जाखमूड तहसील लाडपुर्स जिला
9– स्नेह लता पत्नी नरेन्द्र जी जाति मेघवाल निवासी प्रेम नगर कोटा जिला कोटा
(प्रति० नं० 2 लगायत 9 पुत्रियां सोसर के वारिसान)
10– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थी की ओर से – श्री हरिशंकर मेघवाल एडवोकेट
प्रतिवादी 1 की ओर से– श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण 2 ता 9 की ओर से-- श्री मायाराम स्वामी एडवोकेट

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा व 212 आर0टी0एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थनापत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1– यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का एक वाद पत्र यानि काउन्टर क्लेम माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को पूर्णतया सफल होने की आशा है।

यह कि ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद में पुराने खसरा नम्बरान की 5 किता की 19 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी । नकल जमाबन्दी सलंग्न है। उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा मन्ना बेटा भेरू के नाम दर्ज चली आ रही थी।

खसरा नम्बर 269 की 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 277 की 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 325 की 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 326 की 11 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 374 की 5 बीघा 19 बिस्वा, कुल पांच किता की 19 बीघा 4 बिस्वा

3- यह कि उपरोक्त भूमि में से खसरा नबर 378 की 5 बीघा 19 बिस्वा में प्रतिपक्षी के केचमेन्ट विभाग द्वारा केचमेन्ट कार्य कर दिया जिसके नये खसरा नम्बर 559 की 5 बीघा 19 बिस्वा कायम किया गया।

4- यह कि इसके बाद सेटलमेन्ट विभाग ने सेटलमेन्ट कार्य कर दिया जिसके अनुसार निम्न नये खसरा नम्बरान व रकबा कायम किया गया नकल मिलान क्षेत्रफल एंव जमाबन्दी सलंग्न है।

खसरा नम्बर 419 की 0–18 हेक्टर खसरा नम्बर 424 की 0–05 हेक्टर खसरा नम्बर 628 की 0–81 हेक्टर खसरा नम्बर 730 की 0–50 हेक्टर खसरा नम्बर 731 की 1–50 हेक्टर कुल पांच किता की 3–04 हेक्टर भूमि

5- यह कि उक्त भूमि पूर्व में खातेदार मन्ना बेटा भेरू जी के नाम दर्ज थी उनका देहावसान हो जाने के पश्चात् उक्त भूमि सहवन से प्रतिपक्षी नं० 1 पुत्र व सोसर पुत्री के नाम दर्ज हुई जबकि मन्ना जी के दो पुत्र प्रार्थीगण के पिता नाथूलाल, ग्यारसी) व पुत्री सोसर बाई वारिस थे। तीनों का नाम दर्ज होना चाहिये था।

6- यह कि मन्ना जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता नाथूलाल जी व प्रतिपक्षी नं0 1 ही मोके पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। सोसर बाई पुत्री मन्ना जी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा सोसर बाई ने अपने जीवन काल में ही अपने भ्राता नाथूलाल व ग्यारस्या जी के पक्ष में मोखिक रूप से हक त्याग कर दिया था तथा कोई हिस्सा लेना नही चाहा। सोसर बाई की मृत्यु के बाद भी उसके वारिसान प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 का कभी भी कोई हक हिस्सा व स्वत्व व अधिकार व कब्जा काश्त नहीं रहा है और न है।

7- यह कि इस प्रकार उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता नाथ जी प्रतिपक्षी नं० 1 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था। नाथू जी की मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रार्थीगण 1/2 हिस्से की भूमि पर पर व प्रतिपक्षी नं० 1 भी अपने 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस कारण प्राथर्थीगण 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है।

8- यह कि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रतिपक्षी नं० 2 ता 9 की माता सोसर बाई पुत्री मन्ना जी का नाम अंकित चला आ रहा है। सोसर बाई की मृत्यु हो चुकी है व उसके वारिसान का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त व हक हकूक नहीं रहा है इस कारण सोसर बाई का नाम डिलीट किया जाना व प्रार्थीगण को 1/2 हिस्से का व प्रतिपक्षी नं01 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी नं0 10 को उक्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम 1/2 पर दर्ज कराने व सोसर बाई का नाम हटाने हेतु दिनांक 30–9–2019 को कहा तो पक्षी नं0 10 के कर्मचारियों व अधिकारियों ने प्रार्थीगण का नाम दर्ज करने से इन्कार दिया तथा प्रतिपक्षी नं० 1 को भी प्रार्थीगण का नाम दर्ज करने हेतु कहा तो उसने भी कार कर दिया तथा उक्त भूमि को रहन बेचान व खुर्द बुर्द करने की धमकी दी। प्रार्थीगण हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा कर दिया तो प्रार्थीगण को अपार क्षति गी प्रार्थीगण अपने अधिकारों व साम्पतिक अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगें सकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व दावा पेश करना ही बेकार हो वेगा।

0. यह कि प्रार्थीगण का केस प्राइमा फेसी केस है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की सम्भावना है।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण उपरोक्त भूमि ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 419 की 0–18 हेक्टर, खसरा नम्बर 424 की 0–05 हेक्टर, खसरा नम्बर 628 की 0–81 हेक्टर, खसरा नम्बर 730 की 0–50 हेक्टर, खसरा नम्बर 731 की 1–50 हेक्टर कुल पांच किता की 3–04 हेक्टर भूमि को अथवा उसके हिसी भाग को रहन, बेचान व खुर्द बुर्द नही करे रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे और प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करने और न ही अपने एजेन्ट से करावायें।

प्रार्थी की ओर से संलग्न दस्तावेज

1. नकल जमाबंदी ग्राम मेहंदी संवत 2013–32
2. नकल जमाबंदी ग्राम मेहंदी संवत 2036–39
3. नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम मेहंदी संवत 2043–62
4. नकल फर्द मिलान क्षैत्रफल ग्राम मेहंदी
5. नकल फर्द इन्तलाफ ग्राम मेहंदी
6. नकल जमाबंदी ग्राम मेहंदी संवत 2043–62
7. नकल जमाबंदी ग्राम मेहंदी संवत 2072–75

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण 2 ता 9 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किया कि:–

1–यह कि प्रार्थीगण ने सर्वथा असत्य व गलत तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया हे जो खारिज होने योग्य है।

2–यह कि नाथूलाल मन्ना का पुत्र नहीं है ओर न ही कोई सम्बन्ध है। इस कारण प्रार्थीगण को विवादित भूमि के बाबत वाद पेश करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण को काई वाद कारण पैदा नही हुआ है। वाद कारण के अभाव में दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है।

यह कि प्रार्थीगण आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति है जो गरीब व्यक्ति व असहाय महिला की ी हडपने की साजिश रखते है इसी के तहत झूठे तथ्यों के आधार पर मन्नालाल जी थूलाल पुत्र होना बता कर वाद पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

यह कि खातेदार मन्नालाल जी के दो वारिस एक पुत्र ग्यारस्या व एक पुत्री सोसर है जो मन्ना जी के विधिक वारिसान हे इसी कारण मन्नालाल जी की मृत्यु के पश्चात् अनुसार इंतकाल तस्दीक किया गया है।

यह कि वाद वर्णित भूमि में प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न० 1 ग्यारस्या ने आपस में मिली त कर प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 सभी महिलायें होने के कारण उनकी भूमि को हडपने की यत से वाद पेश किया गया है। जो खारिज होने योग्य है।

–यह कि प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 राजस्व रिकार्ड में खातेदार कृषक है जो खातेदार को प्त अधिकारों से व राज्य सरकार से प्राप्त योजनाओं से वंचित करने की नियत से उक्त मि पर अन्तरिम अस्थायी निषधाज्ञा जारी करवा रखी है जो खारिज होने योग्य है। क्योंकि क्त अस्थायी निषेधाज्ञा से महिला खातेदारों के अधिकार प्रभावित हो रहे है। वैसे भी रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

7–यह कि राजस्व रिकार्ड में प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 की जाति चमार दर्ज है जबकि प्रतिपक्षी नं0 2 ता 9 की जाति मेघवाल है जिसको दुरूस्ती हेतु प्रतिपक्षी नं0 2 व 3 ने एक वाद सं० 114/19 पेश किया था जिसका निर्णय दिनांक 27–2–2020 को हो चुका हे जिसमें चमार के स्थान पर मेघवाल दर्ज होना है किन्तु माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी होने के कारण जाति की दुरूस्ती नहीं हो पा रही है। इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश खारिज फरमाया जावे।

8– यह कि वाद वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं है इस कारण प्रार्थीगण का केस प्राइमा फेसी केस नहीं है सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है और न अपरिमित क्षति होने की सम्भावना है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से आर्डर 01 रूल 10 सीपीसी का बाबत उपपंजीयन अधिकारी दीगोद को पक्षकार बनाये जाने हेतु पेश किया जिस पर वादी अधिवक्ता से जवाब लेकर बहस की गई बाद बहस प्रार्थना पत्र आर्डर 01 रूल 10 सीपीसी खारिज किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया व बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है।

इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के प्रावधानानुसार किसी भी न्यायिक प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पूर्व निम्न बिन्दुओं का परीक्षण किया जाना आवश्यक है –

1. क्या यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है।
2. क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है।

प्रथम दृष्ट्या मामला – किसी न्यायिक राजस्व प्रकरण को देखते ही अर्थात (पहली नजर में) यदि ऐसा प्रतीत हो कि प्रार्थी भी विवादित आराजी में संभावित हकदार हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण को देखने पर हम पाते है कि विवादित आराजी अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं को विधिक वारिसान बताकर सम्पूर्ण विवादित आराजी पर स्थगन चाहा गया है जबकि वारिसान के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है। जबकि विवादित भूमि नियमानुसार जर्ये इन्तकाल अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। यदि प्रार्थी को विधिक वारिसान के संबंध में कोई अर्ज था तो उसे नामान्तरण को किसी न्यायालय में चुनौती देनी चाहिये थी किन्तु इस प्रकार विधिक प्रकिया नही अपनाकर स्वयं को विधिक वारिसान बताकर खातेदारी घोषणा में दावा प्रस्तुत कर स्थगन चाहा गया है जो कि उचित प्रतीत नही होता है तथा इस प्रकार यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नही दिखता है।

सुविधा का सन्तुलन – किसी विवादित आराजी पर कब्जा होने के आधार पर सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में कहा जा सकता है। वैसे भी काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अनुसार कब्जे के अभाव में, जब तक विवादित आराजी स्वयं की संयुक्त सहखातेदारी में दर्ज नहीं हो तो उस आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का भी कब्जा होने से सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षति होना – किसी विवादित आराजी पर किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं किये जाने तथा अन्य पक्ष द्वारा उस आराजी को खुर्द बुर्द कर देने की संभावना होने तथा इस प्रकार खुर्द बुर्द किये जाने से होने वाली क्षति की पूर्ति होना संभव नहीं हो तो इसे प्रार्थी की अपूरणीय क्षति कहा जायेगा। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी में प्रार्थीगण का नाम नहीं है जबकि अप्रार्थीगण का नाम विवादित आराजी में जर्ये नामान्तरण दर्ज हुआ है। अतः जर्ये नामान्तरण दर्ज आराजी को बेचान करने व अन्य कोई प्रकिया अपनाने से रोकना या निषेध करना जबकि " प्रार्थीगण स्वयं को विधिक वारिस सिद्ध करने में वर्तमान में असफल प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थीगण 1 द्वारा प्रार्थीगण को मन्ना जी का विधिक वारिसान माना गया है जबकि अप्रार्थीगण 2 ता 9 द्वारा अपने जवाब में प्रार्थीगण को मन्ना जी का विधिक वारिसान नहीं माना गया है इस प्रकार किसी व्यक्ति के विधिक वारिसान का मत बंटजाने से यह सिद्ध करना कि प्रार्थीगण मन्ना जी के विधिक वारिस है अथवा नही वर्तमान परिपेक्ष्य की दृष्टी में असंभव है" अप्रार्थीगण के हकों पर कुठाराघात होगा अतः इससे जाहिर होता है कि प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना सिद्ध नहीं होता है।

उपरोक्तानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा आदेश 40 नियम 1 के प्रावधानानुसार विवादित आराजी पर कब्जे के आधार पर यह (प्रार्थी) का प्रथम दृष्ट्या मामला होने व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति नहीं होने की अधिकतम संभावना को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार

जाना उचित प्रतीत होता है किन्तु यह जानना भी यहां आवश्यक है कि वर्तमान में
द अभी जैरकार है यदि भविष्य में तहसीलदार रिपोर्ट या अन्य साक्ष्य के आधार पर
मन्ना जी के वारिस सिद्ध होते है और उससे पूर्व ही यदि भूमि खुर्द बुर्द हो जाती
निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में हो जाने के उपरान्त भी न्याय को कोई औचित्य नहीं रह
। इसी प्रकार यहां यह बात भी दीगर है कि अप्रार्थीगण 2 ता 9 मन्नाजी की पुत्री
बाई के वारिसान है तथा मात्र इस आधार पर की सोसर बाई ने मौखित हक त्याग
खना हिस्सा त्याग दिया था सोसर बाई के वारिसों को उनके हक हूकूक से वंचित
किया जा सकता हे। न्याय का सिद्धान्त कहता है कि वाद में जितने भी पक्षकार हो
को न्याय मिलने पर ही न्याय की सार्थकता सिद्ध होती है। भविष्य में वाद के निर्णय
तक प्रार्थीगण के तथाकथित हिस्से को सुरक्षित रखना भी न्यायिकता के सिद्धान्त हेतु
श्यक हे।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा **आंशिक रूप से स्वीकार कर**
ी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की
ती है कि ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 419 की 0–18
टर, खसरा नम्बर 424 की 0–05 हेक्टर, खसरा नम्बर 628 की 0–81 हेक्टर, खसरा
बर 730 की 0–50 हेक्टर, खसरा नम्बर 731 की 1–50 हेक्टर कुल पांच किता की
–04 हेक्टर भूमि में से 1/3 के हिस्से की भूमि को ताफैसला वाद रहन, बेचान नहीं
स्ने तथा रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद